कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बाराबंकी।

पत्रांक–283 /14–4–4, दिनांक, बाराबंकी, 19/07/2019.

सेवा में

डिप्टी जनरल मैनेजर (रिटेल सेल्स)
इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0
इण्डियन ऑयल भवन सेक्टर–एफ कपूरथला काम्पलेक्स
अलीगंज लखनऊ।

विषयः– इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि0 द्वारा प्रस्तावित ग्राम–प्यारेपुर सरैयां, तहसील– नवाबगंज व जनपद–बाराबंकी के गाटा संख्या– 207 मि0 व 208 मि0 में लखनऊ–फैजाबाद मार्ग एन0एच0 28 (नया एन0एच0 27) के किमी0 42–43 (चैनेज–42.434) के मध्य दायीं पटरी पर रिटेल आउटलेट के निर्माण कार्य हेतु 0.150691 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 34 वृक्षों/ पौधो के पातन के गैर वानिकी प्रयोग हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र अलीगंज लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक– 8बी/यू0पी0/06/60/2019/एफ.सी./176 दिनांक 18–07–2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जो इस कार्यालय के साथ आपको भी पृष्ठाकित है में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र अलीगंज लखनऊ के पत्रांक– **8बी/यू0पी0/06/60/2019/एफ.सी./176 दिनांक 18–07–2019** द्वारा जनपद बाराबंकी में ग्राम–प्यारेपुर सरैयां, तहसील– नवाबगंज व जनपद–बाराबंकी के गाटा संख्या– 207 मि0 व 208 मि0 में लखनऊ–फैजाबाद मार्ग एन0एच0 28 (नया एन0एच0 27) के किमी0 42–43 (चैनेज–42.434) के मध्य दायीं पटरी पर रिटेल आउटलेट के निर्माण कार्य हेतु 0.150691 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 34 वृक्षों/ पौधो के पातन की अनुमति की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो /प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है इसके क्रम में उक्त सभी निधियॉ, भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि तथा अवागमन में बाधक 34 वृक्षों के दस गुना अर्थात (34X10=340) वृक्षों के रोपण एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तमन मंत्रालय के सम्बन्धित वेवसाइट www.forestsclearnce.nic.in में ई–पोर्टल के माध्यम से कैम्पा नई दिल्ली में चालान द्वारा जमा करते हुए ई–पेमेन्ट के चालान की मूल स्लिप के साथ सभी विन्दुओं पर अपनी अनुपालन आख्या 04 प्रतियों सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तत्पश्चात ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। अनुपालन आख्या सभी विन्दुओं पर अलग–अलग निर्धारित प्रपत्र में अवश्य प्रस्तुत किया जाय। अन्यथा अनुपालन आख्या मान्य नहीं होगी।

1– वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिर्वतन नहीं होगा।

2– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षो 10 (दस) गुना अर्थात (34X10=340) वृक्षों के रोपण एवं दस वर्षो तक रखरखाव में आवश्यक धनराशि **रू0 119705/– (एक लाख उन्नीस हजार सात सौ पॉच मात्र)** (वर्तमान वेतन दरो को समाहित करते हुए) **कैम्पा नई दिल्ली में** ई–पोर्टल के चालान के माध्यम से जमा **किया जाय।**

3–क प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0 ए0 संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आर्देशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि **रू0 94333/– (चौरान्बे हजार तीन सौ तैतीस रू0 मात्र)** कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जाय।

3ख इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की आन लाइन की रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण एन0पी0वी0 एवं अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो प्रेषित की जाय, तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

3ग प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचन बद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेगे कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

4– विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखनी होगी।

5– प्रस्तावित स्थल में बिना भारत सरकार के पूर्वानुमति के किसी प्रकार परिर्वतन नहीं किया जायेगा ।

6– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास के बीच की भूमि का उपयोग उर्पयुक्त वृक्ष लगाने एवं उसे संरक्षित करने में किया जायेगा एवं इसका सीमाकंन 2 फिट ऊँची दीवाल बनाकर किया जायेगा ।

P.T.O

Scanned by CamScanner

7— स्थापित पेट्रोल पम्प की चहारदिवारी से 1.5 मी0 की दूरी बनाये रखते हुए परिसर के चारो तरफ कम आच्छादन वाले वृक्षो को रोपण किया जायेगा जिसमें वृक्षों की अन्तर दूरी 1 से 1.5 मीटर रखी जाय ।

8— प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

9— पेट्रोल पम्प सामान्यतः रेस्ट एरिया काम्प्लेक्स जिसमें सभी जन सुविधाएं यथा पार्किग ,शौचालय आदि उपलब्ध हो का हिस्सा होना चाहिए । प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऐसे भवनो के निर्माण की पूर्ण योजना तैयार की जायेगी ताकि सड़क किनारे वृक्षारोपण को न्यूनतम क्षति पहुंच सके ।

10— प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत स्वीकृत से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन नही किया जायेगा।

11— सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना ई0 पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी ।

उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या एवं /वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो लागू हो, प्राप्त होने पर ही वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विधिवत स्वीकृत जारी की जायेगी। याचक विभाग को हस्थानान्तरण की कार्यवाही तब तक नही की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तानान्तरण के विधिवत आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नही किये जाते।

निर्धारित प्रपत्र

Conditions No.	Conditions	Status of compliance

भवदीय

(एन0 के0 सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन प्रभाग, बाराबंकी

संख्या 283 / उक्तदिनांकित।

1— प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0, लखनऊ को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

2— प्रतिलिपि वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सरयू वृत्त, उ0 प्र0 अयोध्या को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

3— प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी बाराबंकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जब तक भारत सरकार से विधिवत स्वीकृत जारी न हो जाय तब तक ऐसा कोई कार्य न करने दिया जाय जिससे वन संरक्षण अधिनियम—1980 एवं मा0 उच्चतम् न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन हो।

(एन0 के0 सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन प्रभाग, बाराबंकी

o/c

Scanned by CamScanner